कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

: कार्यालय आदेश :

इस कार्यालय के द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक : शिविरा– माध्य / खेलकूद – 3 / 35101 /वा.पं./2011–12/46 दिनांक 31.05.11 के अन्तर्गत शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताएं, साहित्य –सांस्कृतिक प्रवृतियां आयोजन नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 में उल्लेखित नियमों में निम्नानुसार संशोधन /परिवर्द्धन किया जाता है :–

क्र. सं.	नियमावली		विषय	संशोधन /परिवर्द्धन	
	नियम संख्या	पृष्ठ संख्या		पूर्व निर्धारित दर	संशोधित दर
01	12.3.5	34	क्षेत्रीय /जिला /राज्य विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता /प्रशिक्षण शिविर (राज्य प्रतियोगिता हेतु) एवं राष्ट्रीय प्रतियोगितार्थ आयोज्य पूर्व प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को वर्तमान में देय दैनिक भत्ता /खुराक भत्ता प्रति खिलाड़ी प्रति दिन।	100/– रू प्रति खिलाड़ी प्रति दिन	**150/–रू प्रति खिलाड़ी प्रति दिन**
02	12.6.2	34	जिला / राज्य स्तर पर विद्यार्थियों की खेल प्रतियोगिताओं में खेल गणवेश की अधिकतम सीमा 1000/– रू प्रति होगी। उसमें से 50 प्रतिशत राशि स्वयं विद्यार्थी खिलाड़ी (प्रति खिलाड़ी) वहन करेगा तथा 50 प्रतिशत राशि संबंधित विद्यालय के छात्र कोष से प्रति खिलाड़ी व्यय की जावेगी, जो 500/– रू से अधिक नही होगी। उक्त गणवेश राशि का निर्धारण खेल विशेष हेतु आवश्यक खेल गणवेश के आधार पर संस्था प्रधान द्वारा किया जावे।	750 /– रू प्रति खिलाड़ी	**1000/–रू प्रति खिलाड़ी**
03	12.3.6	34	राष्ट्रीय प्रतियोगिता अवधि एवं इस संबधी यात्रा अवधि के दौरान खिलाड़ियों को वर्तमान में देय दैनिक भत्ता/खुराक भत्ता प्रति खिलाड़ी प्रति दिन।	200/– रू प्रति खिलाड़ी प्रति दिन	**250/–रू प्रति खिलाड़ी प्रति दिन**
04	—	—	राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रति खिलाड़ी गणवेश राशि।	1000/– रू प्रति खिलाड़ी	**1500/–रू प्रति खिलाड़ी**
05	—	—	पंजीकरण शुल्क (राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले राज्य के छात्र–छात्रा खिलाड़ियों का पंजीकरण शुल्क – जो S.G.F.I को देय होता है।)	130 /– रू प्रति खिलाड़ी	**200 /–रू प्रति खिलाड़ी**

उपरोक्तानुसार समस्त संशोधन /परिवर्द्धन एवं दरें सत्र 2019–20 से प्रभावी होंगे। शेष नियम /निर्देश यथावत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/माध्य/खेलकूद–4/35151/2019–20/ दिनांक: 25/06/19

प्रतिलिपि : निम्नाकिंतो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निदेशक, प्रांरभिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर।
02. निदेशक, संस्कृत शिक्षा ,राजस्थान,जयपुर।
03. सिस्टम एनालिसट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
04. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
05. प्रधानाचार्य,सादुल स्पोटर्स स्कूल,बीकानेर।
06. प्रधानाचार्य,राजकीय शा.शिक्षा महाविद्यालय,जोधपुर।
07. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
08. समस्त केन्द्राधीक्षक,सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र/खेल छात्रावास।
09. वरिष्ठ संपादक शिविरा पत्रिका को सादर प्रकाशनार्थ।
10. स्टॉफ आफिसर,निजी अनुभाग (निदेशक) कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर